सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 20, शुक्रवार, शाके 1943-मार्च 11, 2022

Phalguna 20, Friday , Saka 1943- March 11, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

उपभोक्ता मामले विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2022

संख्या एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III :-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.02.2022 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (ख) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किये गये थे।

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 पर अंकित अलवर जिला आयोग में महिला सदस्य के रूप में नियुक्त श्रीमती सरोज शर्मा के नाम में " श्रीमती सरोज शर्मा पुत्री श्री राजेश शर्मा" के स्थान पर **"श्रीमती सरोज शर्मा पत्नि श्री राजेश शर्मा"** पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवीन जैन,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।